

बिहार सरकार
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग
(भू-अर्जन निदेशालय)

--: अधिसूचना :-

पत्र सं० 2963/2P

सिवान दिनांक 14/11/12

चूंकि बिहार सरकार को यह प्रतीत होता है कि मौजा- नथुछाप, थाना नं०- 270, थाना- सिवान, परगना- पचलख, जिला- सिवान के अन्तर्गत सार्वजनिक प्रयोजनार्थ अर्थात् मीरापुर-नथुछाप से मोलनापुर जाने वाली पथ में दाहा नदी पर पुल निर्माण हेतु बिहार राज्य पुल निर्माण निगम, कार्य प्रमंडल 2, पटना द्वारा सरकारी खर्च पर भूमि ली जानी अपेक्षित है। इसलिए इसके द्वारा अधिसूचित किया जाता है कि उपर्युक्त प्रयोजनार्थ पूर्वोक्त मौजा- नथुछाप, थाना नं०- 270 के अन्दर भूमि का एक टुकड़ा अपेक्षित है जो मानक माप से कम-बेस 0.12 एकड़ के बराबर होता है, जिसका अधिसूचित खेसरा नं० इस प्रकार है :- 253 अंश।

अधिसूचित भूमि की चौहद्दी

उत्तर - 252 पूर्ण।

दक्षिण - 215 सड़क।

पूरब - 253 अंश।


पश्चिम- 253 अंश।

यह अधिसूचना भू अर्जन अधिनियम 1,1894 की धारा 4 के उपबन्धों के अधीन जैसा कि बिहार भू-अर्जन अधिनियम II सन् 1984 के सुधार के अनुसार संशोधित है, उन सभी व्यक्तियों के लिए जारी की जाती है जिनका इससे संबंध है। सरकारी भूमि पाये जाने पर हस्तान्तरण की कार्रवाई की जाएगी। अर्जनाधीन भूमि का नक्शा, जिला भू अर्जन पदाधिकारी, सिवान के कार्यालय में देखा जा सकता है।

बिहार सरकार जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, सिवान और उनके कर्मचारियों तथा इस परियोजना से सम्बंधित आरम्भिक अनुसंधान में तत्समय लगे बिहार सरकार के पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों को भूमि पर जाने और उसका सर्वेक्षण करने तथा उक्त अधिनियम कि धारा 4 की उप धारा 2 में यथा उपबंधित या विनिर्दिष्ट सभी कार्य करने के लिए प्राधिकृत करते हैं।

चूंकि बिहार राज्यपाल की राय है कि उक्त भूमि का अर्जन तुरंत आवश्यक है, इसलिए उक्त अधिनियम कि धारा 17 की उप धारा 4 के अधीन निर्देश दिया जाता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (ए) के उपबंध उक्त भूमि पर लागू नहीं होंगे।


बिहार राज्यपाल के आदेश से


समाहर्ता,
सिवान।

६०/-
सरकार के अवर सचिव
बिहार, पटना।

ज्ञाप सं०-14 / डी०एल०ए० सिवान (पुल)-119 / 12-2963 / रा०, पटना-15, दिनांक-14/4/2012

- प्रतिलिपि 1. निदेशक, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, बिहार, पटना को दो-दैनिक समाचार पत्रों जिसमें एक स्थानीय भाषा में हो, प्रकाशन करने एवं प्रकाशित संस्करण की प्रति जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, सिवान को शीघ्र उपलब्ध कराने हेतु प्रेषित।
- प्रतिलिपि 2. प्रभारी उप समाहर्ता, जिला गजट शाखा, समाहरणालय सिवान को जिला गजट के अगले असाधारण अंक में प्रकाशित करने एवं प्रकाशित जिला गजट की प्रति जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, सिवान को उपलब्ध कराने हेतु प्रेषित।
- प्रतिलिपि 3. आयुक्त, सारण प्रमंडल, छपरा / समाहर्ता, सिवान को सूचनार्थ प्रेषित।


(नरोत्तम प्रसाद सिंह)
सरकार के अवर सचिव।